संख्या:1394 /ई–1/तेरह–2022–18/17टी.सी.

प्रेषक,

निधि गुप्ता वत्स,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग–1 **लखनऊ::दिनांक:: 01 मार्च, 2022**

विषयः–आबकारी विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप–पत्र के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी विभाग विभाग द्वारा मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन, पर्यवेक्षण तथा मादक वस्तुओं की तस्करी पर नियंत्रण कर मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाना है। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा संस्थित कार्यवाहियों के अन्तर्गत नामित जॉच अधिकारी द्वारा जॉच की कार्यवाही पूर्ण की जाती है।

2. विभाग में कार्यरत संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनी/यवासवनी/ब्रिवरी एवं सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निवर्हन में लापरवाही, शिथिलता बरतने एवं अन्य अप्रिय घटना आदि होने के दृष्टिगत उक्त अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय/ अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने हेतु जो आरोप–पत्र गठित कर शासन को उपलब्ध कराया जाता है, उसमें कई आरोपों को एक बिन्दु में समावेशित कर दिया जाता है और उनसे संबंधित सुसंगत अभिलेखीय साक्ष्य संलग्न नहीं किये जाते हैं।

3. आरोप के बिन्दु पृथक–पृथक न होने तथा सुसंगत अभिलेखीय साक्ष्य न होने के कारण जॉच अधिकारी द्वारा जॉच कार्यवाही में कठिनाई उत्पन्न होती है तथा जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जा रही जॉच रिपोर्ट में आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित की अभ्युक्ति की जा रही है, जो विधिक रूप से ठीक नहीं है।

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत आरोप या तो प्रमाणित होने या प्रमाणित नहीं होने के तथ्य उल्लिखित हैं एवं उक्त तथ्यों को ही विधिक रूप से संज्ञान में लिया जा सकता है। इसलिए आरोपों की जॉच में आरोप को आंशिक रूप से

प्रमाणित पाये जाने की स्थिति नियमानुसार ग्राहयता की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

3. उक्त के दृष्टिगत कृपया अपचारी अधिकारी के विरूद्ध संस्थित विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप–पत्र गठित किये जाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का अवश्य संज्ञान लिया जायः–

(i) अपचारी अधिकारी के विरूद्ध संस्थित विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही में गठित आरोप–पत्र में आरोपित बिन्दुओं को पृथक–पृथक रूप से उल्लिखित करते हुए उनसे संबंधित सुसंगत अभिलेखीय एवं अन्य पठनीय साक्ष्य आरोप–पत्र के साथ संलग्न किये जायें।

(ii) गठित आरोप–पत्र में आरोपित बिन्दु पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाय तथा अभिलेखीय साक्ष्यों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उन्हें संलग्न किया जाय।

(iii) शासन द्वरा समय–समय पर **संयुक्त आबकारी आयुक्त (जोन), उप आबकारी आयुक्त (प्रभार) एवं जिला आबकारी अधिकारी के कार्यों का निर्धारण किया गया है**, जिसमें प्रवर्तन कार्य, मदिरा की निकासी, ट्रैक एण्ड ट्रेस कियान्वयन, ऑन लाइन व्यवस्था के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्य एवं कम्प्यूटर इन्फ्रास्ट्रक्चर का रख रखाव, पर्यवेक्षणीय कार्य आदि प्रमुख कार्य हैं। अतः अपचारी अधिकारी द्वारा उक्त निर्धारित कार्यों में से जिस कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरती हो जिसके लिए उसके विरूद्ध विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जा रही है, का स्पष्ट उल्लेख करते हुए आरोप पत्र का गठन किया जाय।

(iv) इसी प्रकार **सहायक आबकारी आयुक्त, पेय आसवनी/ब्रिवरी और सहायक आबकारी आयुक्त, अपेय आसवनी के कार्यों का निर्धारण किया गया है,** जिसमें ट्रैक एण्ड ट्रेस कियान्वयन, ऑन लाइन व्यवस्था के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्य एवं कम्प्यूटर इन्फ्रास्ट्रक्चर का रख रखाव, अभिसूचना संकलित करना, अनुज्ञापनों के नवीनीकरण प्रार्थना पत्रों को समय से अग्रसारित किया जाना, अभिलेखों का अद्यतन रख–रखाव, आसवनी में लगे सी.सी.टी.वी. तथा माप मंत्रों को चालू हालत में रखना, स्टाक आदि पर सतर्क दृष्टि रखना निकासी की जाने वाली स्प्रिट/अल्कोहल आदि की निर्धारित तीव्रता सुनिश्चित किया जाना, अधीनस्थ स्टाफ के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, वाहनों की जी.पी.एस. सिस्टम की निगरानी, टैंकर में डीजी लॉक, डीजी लॉक लोकेशन को चेक करना आदि, टैंकरों का ट्रैकिंग सिस्टम का साफ़्टवेयर अपने मोबाइल पर अपलोड करना, गाडियों की मानीटरिंग आदि प्रमुख कार्य हैं। अतः अपचारी अधिकारी द्वारा उक्त निर्धारित कार्यों में से जिस कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरती हो जिसके लिए उसके विरूद्ध विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जा रही है, का स्पष्ट उल्लेख करते हुए आरोप पत्र का गठन किया जाय।

(v) उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा **सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन) के कार्यों का निर्धारण किया गया है**, जिसमें अवैध मद्यनिष्कर्षण/अवैध मदिरा की बिक्री के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही, मदिरा की तस्करी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही, आबकारी अपराधों नारकोटिक्स पदार्थ, शीरे एवं अल्कोहल आदि की तस्करी पर प्रभावी अंकुश रखना,

जिले की टीम के साथ दबिश/छापेमारी की कार्यवाही, संदिग्ध अड्डों के विरूद्ध निरोधक कार्यवाही, आश्रय/प्रश्रय देने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करना, जानकारी एकत्रित करना तथा उच्चाधिकारियों को अवगत कराये जाने आदि प्रमुख कार्य हैं। अतः अपचारी अधिकारी द्वारा उक्त निर्धारित कार्यों में से जिस कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरती हो जिसके लिए उसके विरूद्ध विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जा रही है, का स्पष्ट उल्लेख करते हुए आरोप–पत्र का गठन किया जाय।

(vi) किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में नामित जॉच अधिकारी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार जॉच की कार्यवाही, आरोपों के समर्थन में संलग्न अभिलेखीय साक्ष्यों, तथ्यों व सुसंगत नियमों के आलोक में **सम्यक परीक्षण करके, लगाये गये आरोपों के प्रमाणित होने अथवा प्रमाणित नहीं होने की अभ्युक्ति सहित जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय** तथा किसी भी दशा में जॉच रिपोर्ट में अपचारी पर लगाये गये आरोपों के **"आंशिक रूप से सिद्ध होने"** की अभ्युक्ति अंकित न की जाय।

अतः कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

(निधि गुप्ता वत्स)
विशेष सचिव